6/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 1/4/25 को पेश हो।

1/4/25 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/5/25 को पेश है।

1/5/25 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/5/25 को पेश है।

30/5/25 पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर। बहस अधि. प्रार्थी सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदन के तथ्यों से सन्तुष्ट होकर आवेदन को स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसला अनुसार होकर नियम से दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी-- निखिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना--पत्र मुकदमा नम्बर :- 33/2024
तारीख दायर :- 09.05.2024

उनवान

सुनिल कुमार पुत्र श्री गिरधारी आयु 31 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम भोज्याणा तहसील व जिला सीकर

----प्रार्थी----

बनाम

तहसीलदार, तहसील कार्यालय सीकर

----अप्रार्थी----

उपस्थित :-

अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री अतुल चौधरी

प्रार्थना--पत्र बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती करवाने अन्तर्गत धारा 136 भू--राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

दिनांक :-30.05.2025

1. प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता एक आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू--राजस्व अधिनियम पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, हक अधिकार की भूमियां खसरा नम्बर 601 रकबा 0.07 हैक्ट, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.66 हैक्ट, खसरा नम्बर 603 रकबा 1.80 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 2.53 हैक्ट वाके ग्राम भोज्याणा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का 47/820 हक हिस्सा निहित है।
2. विवादित भूमियां प्रार्थी की पुश्तैनी भूमियां है। विवादित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के बचपन का बोलचाल का नाम जयपाल दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, पेनकार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सुनिल कुमार अंकित है। प्रार्थी के पिता गिरधारी की फौत होने पर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

भूमियों में प्रार्थी का बचपन का बोलचाल का नाम जयपाल अंकित हो गया। उक्त भूमियो के अतिरिक्त प्रार्थी की सहखातेदारी की अन्य भूमि खसरा नम्बर 597, 598, 589, 600 तथा 604 में भी प्रार्थी का नाम बोलचाल का नाम जयपाल ही अंकित हो गया जिसका प्रार्थी को ज्ञान होने पर प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर के राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दुरूस्ती हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष एक आवेदन संख्या 198/2015 बउनवानी जयपाल बनाम तहसीलदार प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय दिनांक 12.12.2015 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 597, 598, 589, 600, 604 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर दिया गया परन्तु भूमि खसरा नम्बर 601, 602, 603 की जमाबंदी का राजस्व रिकॉर्ड तत्समय दर्ज नहीं होने के कारण उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तुत आवेदन संख्या 198/2015 में अंकन नहीं हो सका।

3. विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा प्रार्थी सरकार की ओर से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जयपाल के स्थान पर सुनिल कुमार अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 0.07 हैक्ट, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.66 हैक्ट, खसरा नम्बर 603 रकबा 1.80 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 2.53 हैक्ट वाके ग्राम भोज्याणा तहसील व जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जयपाल के स्थान पर सुनिल कुमार अंकित किया जाने बाबत् आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु तहरीर जारी की गई। प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार सीकर से रिपोर्ट कमांकः–भू.अ. /2024/6603 दिनांक 05.12.2024 प्राप्त। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व ग्राम भोज्याणा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 598, 599, 600, 604 कुल किता 04 व खसरा नम्बर 597 में जयपाल पुत्र गिरधारी का नाम शुद्ध सुनिल कुमार पुत्र गिरधारी न्यायालय आदेश से नामा. संख्या 217 दिनांक 27.01.2016 के द्वारा किया गया परंतु राजस्व ग्राम भोज्याणा के खसरा नम्बर 601, 602, 603 किता 03 कुल रकबा 2.53 हैक्ट दावे मे शामिल नहीं किया गया जिस कारण नाम शुद्ध होने से छुट गया। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम सुनिल कुमार पुत्र गिरधारी लाल ही अंकित है। तहसीलदार सीकर द्वारा उक्त रिपोर्ट विवादित भूमि खसरा नम्बर 601, 602, 603 किता 03 कुल रकबा 2.53 हैक्ट वाके ग्राम भोज्याणा तहसील व जिला सीकर के खातेदार का नाम जयपाल पुत्र गिरधारी के स्थान पर सुनिल कुमार पुत्र गिरधारी लाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने बाबत् भिजवाई गई है।

उपखण्ड अधिकारी

5. रिपोर्ट तहसीलदार के तथ्यों के संतुष्ट होने पर तथा न्यायालय हाजा के मुकदमा संख्या 198/2015 बउनवानी जयपाल बनाम तहसीलदार में निर्णय दिनांक 12.12.2015 के अवलोकन करने पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 601, 602, 603 किता 03 कुल रकबा 2.53 हैक्ट वाके ग्राम भोज्याणा तहसील व जिला सीकर में खातेदार का नाम निम्न सारणी के अनुसार शुद्ध किये जाने की स्वीकृति भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है–

क्र. स.	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि
1.	**जयपाल पुत्र गिरधारी** जाति जाट निवासी भोज्याणा पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर	**सुनिल कुमार पुत्र गिरधारी लाल** जाति जाट निवासी भोज्याणा पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर

तहसीलदार सीकर को निर्देश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार दर्ज करें, रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगा। आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निखिल कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)